पालना में दि० [illegible] को पेश होवे

16/7/21 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वादपत्र सुनवाई बाबत आदेश पत्रांक दिनांक 26.7.21 को पेश हो।

26/7/21 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि इस आराजी सं. 728/.5.0700 हेक्टेयर वाली ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम के कब्जे में अप्रार्थिगण के होते कब्जे में है। अप्रार्थी गण आये दिन प्रार्थी की जमीन को नुकसान करते हैं। बहस से सन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने तहसीलदार कोटकासिम को इसे पैमाइश का प्रार्थना पत्र देना लिखकर प्रार्थना पत्र पर श्री नाग तहसीलदार कोटकासिम ने मय हल्का विवादित आराजी की दिनांक 22.5.2019 को विवादित आराजी की पैमाइश की तो [illegible] पैमाइश दिनांक 22.5.19 को मुताबिक मनचाहगी नहीं करते हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की विवादित आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 22.5.19 को मनचाहगी करवाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर अंकित तथ्य पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका पर दिनांक 22.5.2019 का अवलोकन किया। मौका पर्चा दिनांक 22.5.2019 पर प्रमाण कार्यवाही तहसीलदार कोटकासिम के हस्ताक्षर नहीं हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार कोटकासिम को आदेश [illegible] जाता है कि विवादित आराजी की पुनः पैमाइश [illegible] करवाई जावे। आराजी [illegible] पत्रावली के [illegible] आदेश पारित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Bhar Meena
Date: 2023.05.07 10:46:53 IST
Reason: SelfAttested